

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग**

क्रमांक :- प. 2(1)साप्र/2/2018

जयपुर, दिनांक : 27-11-18

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-

क्र. सं.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवण्टित आवास
1	2	4	6	7
1.	36/2014	श्री विजेन्द्र वर्मा अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर	31.10.2034	II/54, ए.वी.एस., गाँधीनगर, जयपुर
2.	40/2014	श्रीमती चारु जैन सहायक आचार्य, फार्मेकोलॉजी विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.7.2034	2/5, हीराबाग, जयपुर
3.	41/2014	डॉ० रमेश चौधरी सहायक आचार्य (शिशु औषध), सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जयपुर	31.10.2035	5/6, हीराबाग, जयपुर
4.	43/2014	श्री चन्दा लाल मीना सहायक शासन सचिव गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.7.2021	II/19, गाँधीनगर, जयपुर
5.	46/2014	डॉ० अशोक कुमार शर्मा चिकित्सा अधिकारी, न्यू मेडिकल आईसीयू, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.6.2038	II/35, गाँधीनगर, जयपुर
6.	49/2014	डॉ० शशिधर हरव्यासी, चिकित्सा अधिकारी, (नेत्र विभाग), सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.6.2032	II/38, गाँधीनगर, जयपुर
7.	50/2014	श्री हरिराम मीणा अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (भवन व पथ) राजस्थान, जयपुर	28.2.2024	II/42, गाँधीनगर, जयपुर
8.	51/2014	डॉ० योगेश कुमार गुप्ता सहायक आचार्य, पैथोलॉजी विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।	30.6.2042	II/50, गाँधीनगर, जयपुर
9.	52/2014	डॉ. अंजु मीणा रेजीडेण्ट डॉक्टर (प्रथम वर्ष), नेत्र विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.1.2042	II/58, एवीएस, गाँधीनगर, जयपुर
10.	52 "ए"/2014	डॉ० योगेश यादव सहायक आचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं सर पद्मपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर	31.01.2039	6/5, हीराबाग, जयपुर
11.	58/2014	सुश्री निधि अग्रवाल वरिष्ठ लेखाधिकारी, एनआरएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	31.10.2027	एम-6, गाँधीनगर, जयपुर
12.	3/2015	श्रीमती पुष्पा शर्मा आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर	31.7.2023	103, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
13.	4/2015	श्री हरलाल सिंह बिजारणियां उपनिदेशक उद्यान, कृषि विभाग, राज्य कृषि प्रबंध राजस्थान, जयपुर	31.7.2029	204, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
14.	7/2015	डॉ० विजयन्त टाक कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन, कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, मं.नं० 4, लक्ष्मी नगर सोडाला, जयपुर	31.4.2038	303, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
15.	8/2015	डॉ० नीलू शर्मा सहायक आचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	31.3.2042	305, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
16.	13/2015	डॉ० विशाल गुप्ता सहायक आचार्य, मेडिसिन विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं	31.10.2039	403, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर

		अस्पताल, जयपुर		
17.	20/2015	श्री अरविन्द सारस्वत आर.ए.एस., अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर-III, जयपुर	30.11.2033	एन-24, गाँधीनगर, जयपुर
18.	24/2015	डॉ० राधागोविन्द खण्डेलवाल सहायक आचार्य (सर्जरी), सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	30.9.2038	603, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
19.	31/2015	श्री भास्कर दत्त त्रिपाठी अधिकाधी अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.5.2028	605, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
20.	36/2015	श्री राजीव अग्निहोत्री महाप्रबंधक, सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर	30.6.2024	702, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
21.	38/2015	श्रीमती शर्मिला मीना प्रधानाचार्या, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालड़ी मीणा, जयपुर	31.12.2035	704, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकाधी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 1, 9, 12-16 एवं क्रम संख्या 18-21 पर अंकित आवंटी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह.


(पी.डी.पारीक)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
5. आयुक्त, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।

6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
7. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
8. निदेशक, उद्यान, कृषि विभाग, राज्य कृषि प्रबन्ध, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
9. महाप्रबन्धक, सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
10. अधीक्षक/प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
11. प्रभारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
12. प्रभारी, कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, म.नं.-4, लक्ष्मी नगर सोडाला, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
13. प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालड़ी मीणा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
14. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
16. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
17. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-प्रथम/तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
19. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
20. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
21. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर/हीराबाग, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
22. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
23. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
24. रक्षित पत्रावली।

  
 उप शासन सचिव 27/11/18

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी / विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

### प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर